सं. डब्ल्यू 02/0031/2018-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी एल-XX/18

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 23 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल के कार्यपालकों के संबंध में 2017 आई डी ए वेतन मानों के लिए मानक नियम एवं शर्तों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.12.2012 के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि, दिनांक 01.01.2017 से लागू आई डी ए वेतनमानों का अनुसरण करने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों के संशोधित वेतनमानों पर दिशानिर्देश लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 तक 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत जारी कर दिए गए हैं। इन कार्यालय ज्ञापनों में घोषित सरकारी नीति के आधार पर, आई डी ए वेतनमानों का अनुसरण करने वाले केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों के मामले में, मानक नियमों एवं शर्तों को लोक उद्यम विभाग द्वारा अन्तिम रुप दे दिया गया है। मानक नियमों एवं शर्तों की प्रति संलग्न है।

2. 2017 के वेतनमानों में निदेशक मण्डल के कार्यपालकों के वेतन निर्धारण तथा नियम एवं शर्तों के लिए सभी प्रस्तावों को, दिनांक 14.12.2012 के लोक उद्यम विभाग के कथित कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संलग्न मॉडल प्रारुप में अन्तिम रुप दिया जाए।

3. सभी मामले जहां केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालकों के संबंध में 2017 के आईडीए वेतनमानों के आधार पर वेतन निर्धारण को पहले ही अन्तिम रुप दिया जा चुका है, निदेशक मण्डल स्तर के ऐसे कार्यपालकों के नियम एवं शर्तों की समीक्षा संलग्न मानक नियम एवं शर्तों के आलोक में की जाए।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

संलग्नक उपर्युक्त
सेवा में,
सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।
प्रतिलिपि :

(i) सचिव, लोक उद्यम चयन बोर्ड।
(ii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परिक्षक का कार्यालय, 10 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
(iii) प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
(iv) संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
(v) संयुक्त सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि इनको भी:

(i) एन.आई.सी., डीपीई, इस कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
(ii) निदेशक, प्रबंध प्रभाग, डीपीई
(iii) निदेशक, सामान्यप्रबंध प्रभाग, डीपीई

(समसुल हक)
अवर सचिव

वर्ष 2017 वेतन मानों के लिए मानक नियम और शर्तें

भारत सरकार

.....मंत्रालय

.....विभाग

दिनांक : 23 जुलाई, 2018

सेवा में,

.....

.....

.....

विषय :- श्री/श्रीमती/सुश्री..... की .....में ..... के रुप में नियुक्ति संबंधी नियम और शर्तें।

महोदय/महोदया,

मुझे निम्नलिखित नियम और शर्तों पर ..... से .....में श्री/श्रीमती/ सुश्री..... की नियुक्ति ..... के रुप में करने के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

1.1 **<u>अवधि</u> :** उनकी नियुक्ति की अवधि प्रथम दृष्टया में ..... से (नियुक्ति की तारीख).....वर्ष की अवधि के लिए अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले घटित हो और समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगी। तथापि, यह नियुक्ति, इस अवधि के दौरान भी किसी भी पक्ष द्वारा तीन माह के नोटिस पर अथवा इसके बदले में तीन माह के वेतन का भुगतान करते हुए समाप्त की जा सकती है।

1.2 प्रथम वर्ष पूर्ण होने के पश्चात, श्री/श्रीमती/ सुश्री..... के कार्य - निष्पादन की समीक्षा की जाएगी ताकि सरकार द्वारा उसकी सेवा अवधि की शेष अवधि को बनाए रखने अथवा अन्यथा के संबंध में विचार किया जा सके।

1.3 **<u>मुख्यालय</u>**: उनका मुख्यालय.....में होगा जहां सीपीएसई का रजिस्ट्रड कार्यालय / कारपोरेट कार्यालय/मुख्यालय स्थित है। वह सीपीएसई के निर्देश पर देश के किसी भी भाग में सेवा करने के लिए बाध्य होगा /होगी।

1.4 **<u>वेतन</u>** : श्री/श्रीमती/सुश्री .....के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख (इससे पूर्व नियुक्ति के मामले में, वेतन संशोधन की तारीख से) से रू .....के वेतनमान में (डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के का.ज्ञा.के अनुसार, 2017 वेतनमान) प्रति माह रू.....का मूल वेतन आहरित करेंगे/करेंगी।

1.5 **<u>महंगाई भत्ता</u>** : उन्हें डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के का.ज्ञा. में यथा लिखित नई आईडीए स्कीम के अनुसार महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

1.6 **<u>वार्षिक वेतनवृद्धि</u>** : वह उपर्युक्त पैरा 1.4 में संदर्भित वेतनमान में उनकी नियुक्ति की वार्षिक तारीख पर मूल वेतन के 3% की दर पर वार्षिक वेतनवृद्धि आहरित करने और वेतनमान के अधिकतम पहुंचने तक अनुवर्ती

वर्षों में समान तारीख पर आगे वेतनवृद्धि लेने का पात्र होगा /होगी । वेतनमान के अधिकतम पहुंचने के पश्चात , उसके अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से, प्रत्येक दो वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात, आहरित की गई पिछली वेतनवृद्धि की दर के समान एक गतिरोध वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि उसे ''अच्छा" अथवा उससे उपर की कार्य-निष्पादन श्रेणी प्राप्त हो। उसे अधिकतम तीन ऐसी गतिरोध वेतनवृद्धि प्रदान की जाएंगी।

1.7 **आवास किराया भत्ता** : वह दिनांक 03.08.2017 और 04.08.2017 के का.ज्ञा. में निर्दिष्ट दरों के अनुसार आवास किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी ।

1.8 आवासीय व्यवस्था और यथा प्रदत्त आवास के लिए किराए की वसूली ।

1.8.1 **कंपनी की स्वयं की आवासीय व्यवस्था** : सीपीएसई ने औद्योगिक टाउनिशप में जहां कहीं भी आवासीय फ्लैट बनाए हैं अथवा शहरों में आवासीय फ्लैट खरीदे हैं, सीपीएसई द्वारा उन्हे उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

1.8.2 **पट्टा आवास** : यदि सीपीएसई , टाउनशिप में अथवा मुख्यालय में अपने द्वारा खरीदे गए फ्लैट में आवास की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो सीपीएसई द्वारा अपने मुख्यालय में पट्टा आधार पर परिसर लेकर उपयुक्त आवासीय व्यवस्था की जा सकती है । निदेशक- मण्डल द्वारा डीपीई के दिनांक 05.06.2003, 03.08.2017 और 04.08.2017 के का.ज्ञा. के अनुसार ऐसे आवास के आकार , प्रकार और स्थान के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है ।

1.8.3 **स्व – पट्टा** : यदि उसकी तैनाती (मुख्यालय) के स्थान पर उसका अपना मकान है और अपने आवासीय उद्देश्य के लिए वह स्व पट्टा आधार पर अपने स्वयं का मकान लेने का /की इच्छुक है तो सीपीएसई उसे इसकी अनुमति प्रदान कर सकता है बशर्ते कि वह सीपीएसई के पक्ष में एक पट्टा विलेख करे । निदेशक-मण्डल द्वारा डीपीई के दिनांक 05.06.2003, 03.08.2017 और 04.08.2017 के का.ज्ञा. के अनुसार ऐसे आवास के आकार , प्रकार और स्थान के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है ।

1.8.4 **पट्टा आवास की मरम्मत / रखरखाव** : पट्टा आवास की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी पट्टा- दाता की होगी। पट्टा किराये की अनुमति , **वर्ष** में केवल 12 माह के लिए ही होगी और पट्टा आवास की मरम्मत / रखरखाव के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

1.8.5 **मौजूदा पट्टा विलेख** : दिनांक 03.08.2017 से पूर्व , उसके लिए पट्टा आधार पर लिए गए आवास के संबंध में सीपीएसई द्वारा किए गए हस्ताक्षरित पट्टा करार को पट्टा अवधि के दौरान पुन: खोला नहीं जाएगा। अन्य शब्दों में, पट्टा राशि में, पट्टा अवधि की समाप्ति तक कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए । यह परंतुक तब भी लागू होगा यदि उसे अपने स्वयं के मकान को स्व – पट्टा आधार पर लेने की अनुमति प्रदान की गई हो ।

1.8.6 **कार्यालय आवास** : उसके आवास पर सीपीएसई द्वारा सीपीएसई के व्यय पर, किसी प्रकार का कार्यालय आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और न ही उसकी व्यवस्था की जाएगी।

1.9 **किराया वसूली**

1.9.1 **सीपीएसई की टाउनशिप/ स्वयं के फ्लैटः** कंपनी द्वारा अपनी टाउनशिप में उपलब्ध कराए गए या इसके द्वारा शहरों और कस्वों में खरीदे गए फ्लैटों के पूल से उसे आवंटित किए गए आवास के लिए किराया वसूली लोक उद्यम विभाग के दिनांक 04.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित दर पर या कंपनी द्वारा निर्धारित किया गया मानक किराया जो भी कम हो (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि) -------- से किया जाएगा।

1.9.2 **लीज पर आवासः** सीपीएसई द्वारा प्रबंध किए लीज पर आवास के संबंध में उससे किराए की वसूली, लोक उद्यम विभाग के दिनांक 04.08.2017के कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट की गई दर (उसकी कार्यभार की तिथि) ---------- से या वास्तविक किराया, जो भी कम हो, की जाएगी।

1.10 **वाहनः** वह निजी प्रयोग के लिए लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.01.2013 तथा 04.11.2013 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार स्टाफ कार की सुविधा का निम्नानुसार हकदार होगा।

शहर का नाम	गैर-ड्यूटी यात्रा की अधिकतम सीमा
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता	1000 किमी/प्रतिमाह
चेन्नई, बैंगलूरु,हैदराबाद	
अन्य सभी शहर	750 किमी/ प्रतिमाह

निजी प्रयोग/ गैर-ड्यूटी यात्राओं के लिए मासिक वसूली धनराशि (एसी/गैर-एसी) रु 2000 प्रतिमाह होगी।

1.11 **अवकाशः** उसे सीपीएसई की अवकाश नियमावली के अनुसार अवकाश मिलेगा।

1.12 **क्लब सदस्यताः** उसे उसके कार्यकाल सेवा अवधि तक कारपोरेट क्लब सदस्यता (अधिकतम दो क्लब) की अनुमति होगी।

1.13 **अन्य भत्ते/ अनुलाभः** निदेशक मंडल दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 तथा 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों में यथानिर्दिष्ट उसके मूल वेतन के 35% की अधिकतम सीमा तक भत्तों एवं अनुलाभों के बारे में निर्णय लेगा।

1.14 **निष्पादन संबंधित भुगतान(पीआरपी):** वह दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अनुमोदित पीआरपी का हकदार होगा/होगी।

1.15 **अधिवर्षिता लाभः** वह दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अनुमोदित स्कीम के आधार पर अधिवर्षिता लाभों का पात्र होगा/होगी।

1.16 **आचरण, अनुशासन एवं अपील नियामावलीः**

1.16.1 सीपीएसई द्वारा अपने निदेशक मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के संबंध में तैयार की गई आचरण, अनुशासन एवं अपील नियामावली परिवर्तनों के साथ उन पर इस संशोधन के साथ लागू होगी कि उनके मामले में अनुशासन प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति होंगे।

1.16.2 भारत सरकार के पास उसका त्यागपत्र स्वीकार न करने का अधिकार भी होगा यदि परिस्थितियां ऐसी हों अर्थात उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित हो या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आरोपपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया हो।

1.17 **सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र के बाद निजी वाणिज्यिक उपक्रमों में कार्यभार लेने पर प्रतिबंध**

117.1 इस सीपीएसई की सेवा से सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र के बाद श्री/श्रीमती/सुश्री..... .....सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र की तारीख से एक वर्ष तक ऐसे किसी भारतीय या विदेशी फर्म या कंपनी में किसी प्रकार की परामर्शी या प्रशासनिक नियुक्ति या पद स्वीकार नहीं करेगा/ करेगी जिससे सीपीएसई के व्यापारिक संबंध हैं या थे।

1.17.2 इन प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीपीएसई, उनकी नियुक्ति/ सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र के समय लोक उद्यम विभाग के दिनांक 08 अगस्त, 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(22)/99-जीएम के अनुसार इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए क्षति के रूप में उनसे एक उचित देयराशि का बांड लेगी।

1.18 **<u>लियनः</u>** यदि सीपीएसई में निदेशक मंडल स्तर के पद पर नियुक्ति से पहले, वह निदेशक मंडल स्तर से नीचे के पद पर था/ थी, तो लोक उद्यम विभाग/ संबंधित सीपीएसई के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार यदि लागू हो तो, वह निदेशक मंडल स्तर से नीचे के पद पर लियन पर रहेगा/ रहेगी।

2. पिछले पैरों में शामिल न किए गए उससे संबंधित किसी प्रकार की अन्य मद के संबंध में, वह संबंधित सीपीएसई/ सरकार की संगत नियमावली/ अनुदेशों द्वारा अधिशासित होगा/ होगी।

3. इसे वित्त विभाग ..... मंत्रालय की दिनांक..... की उनकी यू.ओ. संख्या ..... की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

भवदीय,

( )